न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 8 / 2018

तारीख दायर–20.11.2018

तारीख निर्णय–08.05.2026

1. श्रीमती शारदा पत्नी अणदीलाल मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्रीमती केशरी पत्नी कालिया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

........वादीया

बनाम

1 श्रीमती मोहनी पत्नी बगदीलाल मीणा निवासी चित्तोडिया, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

2 श्री केशा पिता मेघा मीणा निवासी बोर का पानी (ओवरा) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

3 श्री लोगर पिता मेघा मीणा निवासी बोर का पानी (ओवरा) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

4 श्रीमती कंकुडी पिता उंकार मीणा निवासी बोर का पानी (हाल निवासी बरा ग्राम पंचायत मालपुर पत्नी नाया मीणा।

5 श्रीमती धुलकी पिता उंकार निवासी बोर का पानी (ओवरा) तहसील लसाडिया पत्नी नाया मीणा हाल मुकाम पाईतालाब ग्राम पंचायत बनोडा।

6 श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार, लसाडिया जिला सलूम्बर ।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री मुकेश चौबिसा

प्रतिवादी की ओर से– जॉनी जैन

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलूम्बर

............प्रतिवादीगण

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा लसाडिया पटवार क्षेत्र लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 605 व पुराना 306 में वर्णित आराजी नम्बर 2723 रकबा 0.13 विघा–बिस्वा, आराजी नम्बर 2730 रकबा 1 बिघा–बिस्वा आराजी नम्बर 3493 रकबा 2.13 बिघा–बिस्वा, आराजी नम्बर 3495 / 3 रकबा 1.03 बिघा–बिस्वा किता 04 कुल रकबा 5.09 बिघा–बिस्वा , भूमि स्थित हैं। उक्त आराजियात भूमि पर वादीया एवं प्रतिवादीगणों का संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगणों एंव प्रतिवादीगणों के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूम्बर (राज.)

होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादीगणों द्वारा प्रतिवादीगणों को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीया एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिकी पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादीगणों का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का मौके एवं कब्जे ध्यान में रखते हुए विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर से रिमांड होकर प्राप्त होने पर प्रतिवादी गणों को प्रर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादी गण न्यायालय में पेश नही हुए न ही प्रतिवादीगणों द्वारा को कोई अपना जवाव पेश किया आदेशिका दिनांक 27.02.2026 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादीगणों को बार-बार आवाजे लगाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए न ही प्रतिवादीगणों का अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुआ प्रतिवादीगणों को प्रकरण में सुनवाई का प्रर्याप्त समय देने के बाद भी जवाव प्रस्तुत नही करने से प्रतिवादीगणों का जवाब बन्द किया गया। एवं प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई तत्पश्चात प्रकंरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगणों की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादींया ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादीगणो की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादीया एवं प्रतिवादीगणों वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादीया वादग्रस्त आराजियात का मौके एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा लसाडिया, पटवार क्षेत्र लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 605 व पुराना 306 में वर्णित आराजी नम्बर 2723 रकबा 0.13 बिघा-बिस्वा, आराजी नम्बर 2730 रकबा 1 बिघा-बिस्वा आराजी नम्बर 3493 रकबा 2.13 बिघा-बिस्वा, आराजी नम्बर 3495/3 रकबा 1.03 बिघा-बिस्वा किता 04 कुल रकबा 5.09 बिघा-बिस्वा , भूमि का पक्षकारान के मध्य मौके एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलूम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

वाद डिक्री

1. श्रीमती शारदा पत्नी अणदीलाल मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्रीमती केशरी पत्नी कालिया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

........वादीया

बनाम

1 श्रीमती मोहनी पत्नी बगदीलाल मीणा निवासी चित्तोडिया, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

2 श्री केशा पिता मेंघा मीणा निवासी बोर का पानी (ओवरा) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

3 श्री लोगर पिता मेघा मीणा निवासी बोर का पानी (ओवरा) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

4 श्रीमती कंकुडी पिता उंकार मीणा निवासी बोर का पानी (हाल निवासी वरा ग्राम पंचायत मालपुर पत्नी नाया मीणा।

5 श्रीमती धुलकी पिता उंकार निवासी बोर का पानी (ओवरा) तहसील लसाडिया पत्नी नाया मीणा हाल मुकाम पाईतालाव ग्राम पंचायत बनोडा।

6 श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार, लसाडिया जिला सलूम्बर ।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री मुकेश चौबिसा
प्रतिवादी की ओर से– जॉनी जैन

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 08.05.2026 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है की मौजा लसाडिया, पटवार क्षेत्र लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 605 व पुराना 306 में वर्णित आराजी नम्बर 2723 रकबा 0.13 विघा–विस्वा, आराजी नम्बर 2730 रकबा 1 बिघा–विस्वा आराजी नम्बर 3493 रकबा 2.13 विघा–विस्वा, आराजी नम्बर 3495/3 रकबा 1.03 बिघा–बिस्वा किता 04 कुल रकबा 5.09 विघा–विस्वा , भूमि का पक्षकारान के मध्य मौके एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाईमिट्स एण्ड वाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)